सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना संख्या –36 / 2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

हजारी पुत्र सुखदेव बैरवा निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र हरलाल बैरवा निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर
2. कल्याणसिंह पुत्र दुर्गादान जाति राजपूत निवासी देवगांव
3. कजोड पुत्र सुखदेव बैरवा निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर
4. इन्द्रसिंह पुत्र नाथूलाल राजपूत निवासी देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर
5. सत्यनारायण पुत्र गणेश बैरवा निवासी कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर
6. राजू पुत्र गणेश बैरवा निवासी कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर
7. राज.सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांकः–25.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कणोज में पेश हुई। प्रार्थीगण / अप्रार्थीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि **वाके ग्राम काबरिया तहसील केकडी के खाता स. 10 के खसरा नम्बर 06 रकबा 0.65 है**. भूमि वादी के नाम खातेदार दर्ज है एवं कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी के अलावा किसी अन्य दीगर व्यक्ति का हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी स्वयं एवं प्रार्थी के भाई की खातेदारी आराजीयात है।प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजीयात के पडोसियान का कोई लेना देना नही है परन्तु व अकारण ही प्रार्थी से रंजिश रखते है तथा प्रार्थी की हक,हिस्से, व कब्जे काश्त की भूमि को हडपने पर आमादा है। अप्रार्थीगण की नियत बद है सीमाए अस्पष्ट है। प्रार्थी उक्त आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट कणोज में पेश हुई । वादी उपस्थित।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकार को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से प्रार्थी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी प्राथी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का **वाके ग्राम काबरिया तहसील केकडी के खाता स. 10 के खसरा नम्बर 06 रकबा 0.65 है**. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी